क्रम संख्या–16

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई0

माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 36 / XXXVI(3) / 2014 / 11(1) / 2014

देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–04 वर्ष 2014)

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3)यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 (1)में खण्ड (छ) का अंतःस्थापन

2. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के पश्चात् एक नया खण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(छ) जनपद उधमसिंह नगर की सीमान्तर्गत वह भूमि जो 1971 अथवा उससे पूर्व बांग्लादेश (पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आये शरणार्थियों को, जिन्हें भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत गर्वमेंट ग्रान्ट ऐक्ट के अधीन जिला पुनर्वास कार्यालय, बरेली द्वारा भूमि पटटे पर आबंटित की गयी थी।"

मूल अधिनियम की धारा 2 (1)में खण्ड (ज) का अंतःस्थापन

3. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् एक नया खण्ड (ज) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ज) उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्तर्गत वर्ग 4 की ऐसी भूमि जिस पर व्यक्ति दिनांक 30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज हैं।"

मूल अधिनियम की धारा 130 में उप धारा (घ) का अंतःस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 130 के खण्ड (ग) के पश्चात् नया खण्ड (घ) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(घ) पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से वर्ष 1971 से पूर्व

भारत आए शरणार्थी और जिन्हें वर्ष 1980 से पूर्व भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत तत्कालीन जिला नैनीताल (वर्तमान जिला उधमसिंहनगर) की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत कृषि हेतु सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन जिला पुनर्वास कार्यालय, बरेली द्वारा भूमि पट्टे पर आवंटित की गयी थी और इन पट्टाग्रस्त भूमिखण्डों पर मूल पट्टेदार की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा दिनांक–09.01.2000 से पूर्व कब्जा प्राप्त कर इस भूमि पर काबिज हों तथा जिन्होंने वर्ष 2013 को प्रवृत्त सर्किल रेट के आधार पर आंकलित कब्जे की भूमि का मूल्य राजकोष में जमा कर दिया गया हो एवं राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य शर्तों का अनुपालन करने वाले व्यक्ति।"

मूल अधिनियम की धारा 130 में उप धारा (ङ) का अंतःस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 130 के खण्ड (घ) के पश्चात् नया खण्ड (ङ) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ङ) उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्तर्गत वे व्यक्ति जो वर्ग 4 की भूमि पर दिनांक–30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज हैं, को सरकार द्वारा विहित प्रकिया के अनुरूप।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

6. (1) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।